सुरक्षा विनियम

खतरनाक सामान तथा प्रतिबंधित वस्तुएं

एअर इंडिया अपने विमानों में उड़ान के दौरान किसी भी प्रकार की खतरनाक वस्तु का वहन नहीं करती है। अपवाद : एल्कोहलिक पेय पदार्थ, परफ्यूम्स तथा कोलोन, दवाईयां अथवा प्रसाधन के सामान, चिकित्सा कारणों से अपेक्षित ऑक्सीजन गैस के छोटे सिलेंडर, कृत्रिम अंगों के प्रचालन के लिए यात्री द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा कार्बन डाई ऑक्साइड का छोटा सिलेंडर विमान में ले जाने की अनुमति है।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनुसार, यात्री हैंड बैगेज में इलैक्ट्रॉनिक सामानों में अथवा अपने हाथ/पॉकेट में बैटरी सैल ले जा सकते है।

निम्नलिखित सामान, जिन्हें सामान्यत: खतरनाक सामान माना जाता है, उन्हें विनियमों के प्रावधानों के तहत यात्री वहन कर सकते हैं। इनको वहन के लिए स्वीकार किया जाता है बशर्ते इनकी मात्रा सीमित हो:

- ड्राई आइस, प्रति यात्री 2 किलोग्राम (5 पाउंड) से अधिक न हो तथा इनका उपयोग नाशवान वस्तुओं को पैक करने के लिए किया गया हो। इनका वहन केवल हाथ में ले जाए जा रहे सामान में किया जा सकता है।
- एल्कोहलिक पेय पदार्थ - 5 लीटर
- बैगेज में खतरनाक सामान - सुरक्षा कारणों से नीचे सूची में दी गई खतरनाक वस्तुओं का वहन यात्री बैगेज में नहीं किया जाना चाहिए।
- कम्प्रैस्ड गैस - (अत्यधिक प्रशीतित, ज्वलनशील, अज्वलनशील तथा जहरीली गैस) जैसे ब्यूटेन, ऑक्सीजन, द्रव्य नाइट्रोजन, एक्वालंग सिलैंडर तथा कम्प्रैस्ड गैस सिलैंडर
- संक्षारक (Corrosives) जैसे एसिड, एल्केलिस, पारा तथा वेट सैल बैटरियां तथा पारेयुक्त उपकरण
- विस्फोटक, गोला बारूद, आतिशबाजी तथा फ्लेयर्स। खाली कारतूस, हैंड गन, फायर वर्क व पिस्तौल कैप सहित गोला बारूद

सुरक्षा विनियम

- ज्वलनशील द्रव्य तथा ठोस जैसे लाइटर रिफिल, लाइटर ईंधन, माचिस, पेंट, थिनर, फायर लाइटर, लाइटर जिन्हें जलाने से पूर्व इनवर्ट करने की आवश्यकता होती है।
- रेडियोएक्टिव सामग्री
- अलार्म उपकरण लगे ब्रीफकेस तथा अटैची
- ऑक्सीडाइज़िग सामग्री जैसे ब्लीचिंग पाउचर तथा पेरोक्साइड्स
- जहर तथा संक्रामक पदार्थ जैसे कीटनाशक, खरपतवार नाशक तथा जीवित वायरस पदार्थ
- चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन गैस के छोटे सिलैंडर तथा कृत्रिम अंगों के प्रचालन के लिए यात्री द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा कार्बन डाई ऑक्साइड का छोटा सिलैंडर
- अन्य खतरनाक वस्तुएं जैसे चुम्बकीय, आक्रामक अथवा प्रदाहात्मक सामग्री।

बैगेज टिप्स तथा प्रतिबंधित वस्तुएं

निषिद्ध सामान

हमारे विमानों पर यात्रा करते समय किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ या पॉकेट में/केबिन बैगेज में या पंजीकृत सामान में निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं है। नीचे दी गई सूची सम्पूर्ण नहीं है तथा इस पर प्रभावी नियम लागू होंगे।

वस्तुएं जो हाथ के सामान में नहीं ले जाई जा सकतीं

निजी वस्तुएं

लाइटर, धातु की नुकीली कैंची, खिलौना जो असली हथियार जैसा लगता हो।

नुकीली वस्तुएं

बॉक्स कटर, आइस एक्स/आइस पिक्स, चाकू (बिना धार के बटर तथा प्लास्टिक कटलरी को छोड़कर किसी भी लंबाई तथा प्रकार के चाकू), मीट छुरा, रेज़र टाइप ब्लेड्स जैसे बॉक्स कटर,

सुरक्षा विनियम

उपयोग में लाए जाने वाले चाकू, बिना कार्ट्रिज के रेज़र ब्लेड (सेफ्टी रेज़र को छोड़कर), सैबज, तलवार।

खेल का सामान

बेसबॉल बैट, तीर-कमान, क्रिकेट बैट, गोल्फ क्लब, हॉकी स्टिक्स, लैक्रॉसे स्टिक्स, पूल क्यू, स्की पोल्स, स्पीयर गन।

बंदूक तथा फायरआर्म

गोला-बारूद, बी बी गन, कम्प्रैस्ड एयरगन, फायरआर्म, गन्स तथा फायरआर्म के हिस्से , छर्रे वाली बंदूक तथा फायरआर्म एवं स्टार्टर पिस्टल की वास्तविक सी प्रतिकृति।

उपकरण

कुल्हाड़ी और हैच, कैटल प्रॉड्स, क्रो बार, हथौड़ा, ड्रिल (बिना तार के पोर्टेबल पॉवर ड्रिल सहित), आरी (बिना तार की पोर्टेबल पॉवर आरी सहित), स्क्रू ड्राइवर्स (आईग्लास रिपेयर किट्स के स्क्रू ड्राइवर्स को छोड़कर), औजार (रिन्च तथा प्लायर) सहित किन्तु इन तक सीमित नहीं), रिन्च तथा प्लायर।

मार्शल आर्ट/आत्म रक्षा की वस्तुएं

बिली क्लब, ब्लैक जैक्स, ब्रास नक्कल, कूबाटन, मेस/पैपर स्प्रे, मार्शल आर्ट के शस्त्र, नाइट स्टिक, ननचाकुस, मार्शल आर्ट/आत्म रक्षा की वस्तुएं, स्टन गन/शॉकिंग उपकरण, थ्रोइंग स्टार्स।

एअर इंडिया
AIR INDIA

<u>सुरक्षा विनियम</u>

प्रबिंधित वस्तुएं

बैगेज अथवा हाथ/पॉकेट में निम्नलिखित खतरनाक सामानों को न ले जाएं

<table>
<tr>
<td rowspan="5">जहर
टॉक्सिक

रेडियोएक्टिव
रेडियोएक्टिव सामग्री

संक्षारक
पारा
वैट बैटरी
एसिड

विविध खतरनाक वस्तुएं
चुम्बकीय सामान

हथियार</td>
<td colspan="2">यात्रियों के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना
सिर्फ अपने ही सामान के साथ यात्रा करें।
किसी अनजान व्यक्ति से सामान स्वीकार न करें।
अपना बैग स्वयं पैक करें।
अपने सामान को लावारिस न छोड़े ताकि कोई आपके सामान में कोई आपत्तिजनक वस्तु न रख सके।</td>
<td rowspan="5">विस्फोटक
आतिशबाजी
ग्रेनेड

ज्वलनशील गैस
ब्यूटेन

ज्वलनशील तरल
पेट्रोल
कैरोसीन

ज्वलनशी ठोस
माचिस, लाइटर

ऑक्सीडाइजर
ब्लीच
पेरोक्साइड</td>
</tr>
<tr>
<td>निजी इलैक्ट्रानिक वस्तुएं

लैपटॉप
कम्प्यूटर</td>
<td>विमान के उड़ान भरते तथा उतरते समय इनका इस्तेमाल न करें।</td>
</tr>
<tr>
<td>मोबाइल फोन
सीडी प्लेयर</td>
<td>हवाई यात्रा के दौरान बंद रखें</td>
</tr>
<tr>
<td>वीडियो कैमरा
कैमरा</td>
<td>सभी सैन्य एयरपोर्टों पर चित्र लेना मना है।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">खेल कूद के सामान को अपने बैगेज में ही ले जाने की अनुमति है, हाथ/पॉकेट में इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं है।
क्रिकेट बैट
हॉकी स्टिक
बेस बॉल बैट
गोल्फ स्टिक</td>
</tr>
</table>

सुरक्षा विनियम

वस्तुएं जिन्हें हाथ के सामान और यहां तक कि चेक-इन सामान में भी नहीं ले जाया जा सकता है।

विस्फोटक सामग्री

जैसे फ्लेयर गन, गन लाइटर तथा गन पाउडर, विस्फोटक सामग्री। ब्लास्टिंग कैप, डायनामाइट, आतिशबाजी, फ्लेयर्स (किसी भी प्रकार के), हैंड ग्रेनेड, प्लास्टिक विस्फोटक तथा विस्फोटकों की वास्तविक सी प्रतिकृतियां।

कम्प्रैसड गैस

जैसे (अति प्रशीतित, ज्वलनशील, अज्वलनशील तथा जहरीली गैस) यथा ब्यूटेन, ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन तथा एक्वालंग सिलेन्डर्स (अति प्रशीतित, ज्वलनशील, अज्वलनशील तथा जहरीली गैस)

ज्वलनशील वस्तुएं

जैसे एरोसोल (सीमित मात्रा में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता या प्रसाधन की वस्तुओं को छोड़कर कुछ भी), ईंधन (कुकिंग ईंधन तथा किसी भी प्रकार के ज्वलनशील तरल ईंधन सहित), गैसोलीन, गैस टॉर्च, हल्का तरल, कहीं भी स्ट्राइक होने वाली माचिस, तारपीन तथा पेंट थिन्नर, ज्वलनशील वस्तुओं की वास्तविक सी प्रतिकृतियां।

ऑक्सीडाइजिंग सामग्री

जैस ब्लीचिंग पाउडर तथा पेरोक्साइड्स

जहर तथा संक्रामक पदार्थ

जैसे कीटनाशक, वीड किलर्स और जीवित वायरस सामग्री

रेडियोएक्टिव सामग्री

संक्षारक

जैसे एसिड, क्षार, पारा, वैट सेल बैटरियां (जो व्हील चेयर में लगी हैं, उन्हें छोड़कर), ओवन या ड्रेन क्लीनर्स

सुरक्षा विनियम

अन्य खतरनाक वस्तुएं

जैसे चुम्बकीय, आक्रामक या प्रदाहजनक सामग्री। अलार्म उपकरण लगे ब्रीफकेस तथा अटैची केस।

प्रतिबंधित वस्तुएं

एअर इंडिया, इंटरलाइनिंग एयरलाइनों तथा स्थानीय विनियमों के अनुसार, नीचे दी गई कुछ वस्तुओं के वहन के लिए पहले अनुमोदन लेना आवश्यक है।
स्पिलेबल/नॉन स्पिलेबल बैटरी सहित बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर्स, ड्राई आइस, पोर्टेबल मेडीकल इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि।

यात्री बैगेज में लिथियम बैटरी से चलने वाले सेल्फ बैलेंसिंग उपकरणों के वहन पर प्रतिबंध

स्पेयर लीथियम आयन बैटरियों का वहन

चैक-इन अथवा केबिन बैगेज में स्पेयर लीथियम आयन बैटरियों का वहन किया जा सकता है बशर्ते वे उपकरण में लगी हों व उससे कनेक्टेड हों। संबंधित उपकरण के बिना अथवा संबंधित उपकरण से अलग की गई लीथियम आयन बैटरियों का वहन केवल केबिन बैगेज के रूप में किया जा सकता है। केवल उन्हीं लीथियम आयन बैटरियों के वहन की अनुमति है जो वाट घंटे (Wh) रेटिंग के अनुसार 100Wh से ऊपर लेकिन 160 Wh से अधिक न हो ।

प्रत्येक स्पेयर बैटरी को वयैक्तिक रूप से सुरक्षित रखना अनिवार्य है जैसे उसे मूल रिटेल पैकट में रखा जाए अथवा टर्मिनल को इनस्यूलेट किया जाए जैसे खुले हुए अंतिम सिरे पर टेप लगाया जाए तथा शार्ट सर्किट से बचने के लिए प्रत्येक बैटरी को अलग प्लास्टिक पाउच रखा जाए।

स्पेयर लीथियम आयन बैटरियों को चेक-इन बैगेज के भाग के रूप में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

<u>सुरक्षा विनियम</u>

उड़ान में लीथियम बैटरी से चलने वाले उपकरणों के वहन पर प्रतिबंध

हमारी उड़ानों में सभी यात्रियों की सुरक्षा हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से सभी निजी लीथियम-आयन बैटरियों वाले मोटोराइज़्ड ट्रांसपोर्टेशन उपकरणों, होवर-बोर्ड, सेगवेज़, एयरव्हील, सोलोव्हील, मिनी सेगवे, बैलेंस व्हील, सेल्फ बैलेंसिंग बोर्ड, बैलेंस ग्लाइडर्स सहित तथा इनसे मिलते-जुलते उपकरणों को एअर इंडिया की उड़ानों में चेक-इन बैगेज तथा कैरी-ऑन बैगेज में रूप में ले जाने पर प्रतिबंध है।

<u>पावर बैंक तथा सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का वहन</u>

पावर बैंक चेक-इन बैगेज में नहीं ले जा सकते हैं लेकिन हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 पर प्रतिबंध है तथा इसे किसी भी बैगेज में नहीं ले जा सकते हैं।